एम.पी. यू.जी. 2016 की प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में सीट आवंटित अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चरण की काउंसिलिंग मे सीट आवंटित हुई है, वे एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल से अपना आवंटन पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। आवंटन पत्र, एम.पी. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की रसीद एवं च्वाईस फिलिंग लॉकिंग की रसीद स्कुटनी एवं प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. सभी आवंटित अभ्यर्थी को सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली द्वारा संचालित की गई नीट (यू.जी.) 2016 परीक्षा की ऐप्लीकेशन/रजिस्ट्रेशन फार्म जिसमे अभ्यर्थी का मूल निवासी राज्य अंकित है, अनिवार्य रूप से स्कुटनी एवं प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

3. अभ्यर्थियो को सलाह दी जाती है कि वे मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों मे स्नातक (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियमों, 2016 से संबंधित मध्यप्रदेश के दिनांक 24 अगस्त, 2016 एवं दिनांक 27 अगस्त, 2016 को प्रकाशित राजपत्रो का भली–भांति अध्ययन कर लें।

4. अभ्यर्थी को सीट आवंटन पश्चात् निर्धारित शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय मे स्कुटनी (मूल अभिलेखों का सत्यापन) एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथियो (दिनांक 05 सितम्बर से 08 सितम्बर तक प्रतिदिन प्रातः 10:30 से सांय 05:30 बजे तक) के दौरान उपरोक्त किसी भी एक तिथि के दिन अपने समस्त मूल दस्तावेजो एवं आवंटित संस्था की निर्धारित फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो डीन (चिकित्सा

महाविद्यालय)/प्रिसिंपल (दंत चिकित्सा महाविद्यालय) संबंधित आवंटित संस्था के नाम पर देय होगा, के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

5. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण मे आवंटित सीट पर प्रवेश से संतुष्ट है एवं आगे के चरणो की काउंसिलिंग एवं रिक्त रही सीटो के आवंटन की प्रकिया मे भाग नहीं लेना चाहते हैं अर्थात वे अपना प्रवेशित कॉलेज नहीं बदलना चाहते हैं उन्हे इस आशय का एक स्व–हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रवेश के समय देना होगा एवं ऑनलाईन एडमीशन स्लिप निकालने से पूर्व ऑनलाईन फार्मेट मे **"सेटिस्फाईड"** के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरणो की काउंसिलिंग तथा रिक्त रही सीटो के आवंटन की प्रकिया मे भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगे। ऐसे अभ्यर्थियो की प्रवेशित सीट यथावत सुरक्षित रहेगी, परन्तु किसी अन्य महाविद्यालय जिसकी सीटे प्रथम चरण की काउंसिलिंग मे उपलब्ध नहीं थी, यदि अगले चरण की काउंसिलिंग मे आवंटन हेतु उपलब्ध होती है तो उक्त सेटिस्फाईड अभ्यर्थी इन सीटो पर आवंटन के लिये पात्र होगें अर्थात् उन्हे द्वितीय चरण एवं द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रही सीटो के आवंटन की प्रकिया मे पुनः च्वाईस फिलिंग एवं मेरिट अनुसार सीट आवंटन की पात्रता होगी।

ऐसे अभ्यर्थी जो अगले चरणों की काउसंलिंग में अपग्रेड होना चाहते है उन्हें प्रवेश के समय इस आशय की स्वलिखित, स्व–हस्तक्षरित घोषणा पत्र देना होगा एवं एडमीशन स्लिप निकालने के पूर्व अपग्रेड के आप्शन पर क्लिक करना होगा ।

3/7/16

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मूल अभिलेखों की सूची

1– सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली द्वारा संचालित नीट (यूजी) 2016 परीक्षा का एप्लीकेशन/रजिस्ट्रेशन फार्म ।

2– नीट (यू.जी.) 2016 – टेस्ट एडमिट कार्ड

3– नीट (यू.जी.) 2016 की मूल अंक सूची

4– अर्हकारी परीक्षा (हायर सेकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची)

5– आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण–पत्र

6– आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/विकलांग) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

7– जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वीं/12वीं की अंक सूची/प्रमाण–पत्र

8– यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा उस अंतराल का शपथ–पत्र

9– मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र

10– अध्ययनरत् अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (उपलब्ध न होने पर वचनबद्ध लिया जाए कि वह निश्चित समयावधि में प्रमाण–पत्र संस्था में जमा करा देगा)

11– वर्तमान आय प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित,स्वहस्ताक्षरित)

3/9/16

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश